राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या ..839/2017 .....जिला.....जयपुर.....

उनवान – मैसर्स देहली ट्रेडिग कम्पनी, जयपुर बनाम सहायक आयुक्त विशेष वृत्त–पंचम, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02.06.2017	**एकलपीठ** **राजीव चौधरी, सदस्य** अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री एस.के. जैन एवं विभाग की ओर से उप–राजकीय अधिवक्ता श्री आर. के. अजमेरा उपस्थित। अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से हस्तगत अपील, अपीलीय प्राधिकारी–प्रथम, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के आदेश दिनांक 11.05.2017 जो कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत् पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 21.03.2017 को पारित कर निर्धारण आदेश वर्ष 2008–09 के जरिये कायम मांग राशि **रू0 9,86,529/– में से रूपये 7,00,000/–** की वसूली पर रोक स्वीकार कर बकाया मांग राशि रू0 **2,86,529/–** पर रोक लगाने के प्रार्थना पत्र को अपीलीय अधिकारी द्वारा अस्वीकार करने को चुनौती दी गयी है। उभयपक्षीय बहस सुनी गयी । बहस के दौरान अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया गया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी का कर निर्धारण आदेश दिनांक 23.07.2017 को पारित किया गया है। जिसमें व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत जवाब को अस्वीकार किये जाने का कोई विधिक कारण अंकित नहीं किया है एवं साथ ही अपीलीय अधिकारी ने भी मांग राशि रूपये 9,86,529/– में से 7,00,000/– रूपये को स्थगित किया है एवं शेष राशि रूपये 2,86,529/– को स्थगित नहीं किये जाने का कोई विधिक कारण अपने आदेश में उल्लेखित नहीं किया है। अतः ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया सुविधा सन्तुलन अपीलार्थी के पक्ष में होने के कारण, बकाया मांग वसूली पर रोक लगाने की प्रार्थना की गयी। बहस के दौरान विद्वान उपराजकीय अभिभाषक द्वारा कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन किया गया तथा कथन किया गया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विधि के अनुकुल आदेश पारित किया है तथा अपीलीय अधिकारी द्वारा भी कानूनी प्रावधानों के मध्यनजर आदेश पारित किया है, जिसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं है। अतः अपील मय स्थगन आवेदन पत्र को अस्वीकार करने का निवेदन किया। उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। अपीलीय अधिकारी के आदेश के अवलोकन एवम् प्रकरण के तथ्य व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना इस प्रकरण पर बकाया मांग के बिन्दु पर प्रथमदृष्टाया मामला व सुविधा का सन्तुलन व्यवहारी अपीलार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। चूंकि प्रथम अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित है, जिसका निस्तारण अपीलीय अधिकारी द्वारा किया जाना शेष है। 02/06/17 **लगातार.....2**	

प्रकरण में प्रथम दृष्टया सुविधा सन्तुलन अपीलार्थी के पक्ष में प्रतीत होने से प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना प्रकरण में शेष विवादित मांग राशि रू0 2,86,529/– की वसूली कार्यवाही इस शर्त पर स्थगित की जाती है कि अपीलार्थी व्यवहारी कर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप Adequate Security 15 दिवस में प्रस्तुत करेंगे, इस शर्त का उल्लंघन करने पर उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा। अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे आदेश की प्राप्ति के **तीन माह** में उनके समक्ष लम्बित अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 38(4) स्वीकार किया जाकर प्रकरण का निस्तारण किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया ।

02/06/17

सदस्य
राजस्थान कर बोर्ड
अजमेर